सप्तदश माला, खंड 22, अंक 4

शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023

14 माघ, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संपादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

एस.के. चौधरी
संयुक्त निदेशक

उपेन्द्र नाथ
उप निदेशक

विनोद कुमार
सहायक संपादक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 22, ग्यारहवां सत्र, 2023 / 1944 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 / 14 माघ, 1944 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21	9-12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	13
तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित-चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 14-36

सभा का कार्य 37

कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 38

नियम 377 के अधीन मामले 39-53

(एक) गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी अनुसंधान संस्थान तथा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि किशन 39-40

(दो) गया से डाल्टनगंज तक रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह 41

(तीन) शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डभौरा रेलवे समपार संख्या 334-बी पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री अरुण कुमार सागर 42

(चार) देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु अतिरिक्त विधिक प्रावधान किए जाने के बारे में

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा 43

(पांच) मालदा टॉउन रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाए जाने एवं वहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दिए जाने के साथ-साथ मालदा टॉउन रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली एवं बेंगलूरु तक ट्रेन सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन मुर्मु 44

(छह) बिहार के सीतामढ़ी जिले में मनुषमारा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में

श्रीमती रमा देवी 45

(सात) सबरी रेलवे लाइन परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में

श्री एंटो एन्टोनी 46

(आठ) देश के सामुदायिक रेडियों केंद्रों की फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ाए जाने के बारे में

श्री टी. एन. प्रथापन 47

(नौ) सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में

श्री गौरव गोगोई 48

(दस) तिरुपत्तुर एवं जोलारपेट्टई रेलवे स्टेशनों के विकास और वहाँ रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में

श्री सी. एन. अन्नादुरई 49

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल के जयनगर और मोइपिथ (कुलताली ब्लॉक) के बीच रेल सेवा शुरू किए जाने के बारे में

श्रीमती प्रतिमा मण्डल 50

(बारह) विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री विनायक भाऊराव राऊत 51

(तेरह) कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा में अपने अंतिम अवसर का लाभ न उठा पाने वाले सिविल सेवा आकांक्षियों को एक और अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन 52

(चौदह) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के बीमा दावों के समयबद्ध निस्तारण के बारे में

श्री हनुमान बेनीवाल 53

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 / 14 माघ, 1944 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी] … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल । प्रश्न संख्या 21.

श्री सुधीर गुप्ता जी।

… (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

इस समय एडवोकेट ए.एम. आरिफ़, श्री गौरव गोगोई, श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

(प्रश्न 21)

श्री सुधीर गुप्ता: माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे देश में 'एम्स' जैसी संस्थाओं को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित करके देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया है।…(व्यवधान)

मैं उनको इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में मेडिकल कॉलेजों की बड़ी श्रृंखलाएं प्रारंभ की गई हैं, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के तीन जिला मुख्यालयों को तीन मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए हैं। मैं उसके लिए भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।…(व्यवधान) मैं इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि इस बार के बजट में 174 नर्सिंग कॉलेजेज़ प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। उसमें भी मेरे संसदीय क्षेत्र को लाभ होगा।…(व्यवधान)

---

[1] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या 'एम्स' जैसी सुविधाओं के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों का एक समूह बनाकर बीमारियों के स्पेशलाइजेशन को करते हुए एवं मिनी 'एम्स' लाने हेतु राज्यों के साथ कोई समझौता प्रस्तावित करेंगे?... (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके क्षेत्र में 'एम्स' जैसी सुविधा दी जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 'एम्स' खोले जाने का विजन यही है कि लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, टर्शरी केयर मिले और रिसर्च पर काम हो एवं इसके साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।... (व्यवधान)

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को धन्यवाद देती हूं कि जहां एक 'एम्स' था, वहां अभी 22 नए 'एम्स' बनने जा रहे हैं, जिसमें से 6 'एम्स' फंक्शनल हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक 'एम्स' फंक्शनल है।... (व्यवधान)

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्हें 'एम्स' जैसी सुविधा चाहिए, तो केन्द्र सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आज भोपाल में 4 सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स के लिए बजट भी दिया गया है। उसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेजेज़ खोलने के लिए भी बजट दिया गया है, जो कि अच्छे पैमाने की सुविधा देंगे।...(व्यवधान) मैं आदरणीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि सरकार की यह मंशा है कि गांव-गांव तक अच्छी सुविधा पहुंचे और आज हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है।...(व्यवधान)

श्री सुधीर गुप्ता: महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है एवं वह तैयार है।...(व्यवधान) एक मेडिकल कॉलेज (रतलाम) में एजुकेशन की सुविधाएं प्रारंभ हो गई हैं। मंदसौर और नीमच के मेडिकल कॉलेजों में क्या आप इसी सत्र से शैक्षणिक सुविधाएं प्रारंभ करेंगे?... (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता जताई है, तो जैसे ही काम आगे बढ़ता है, वैसे ही हम इंस्पेक्शन करके एजुकेशन देना शुरू कर देते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। आज प्रश्न काल में देश में चिकित्सा के संबंध में, जी-20 के विषय में एवं रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं। आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिलता है। आप प्रश्न काल के समय सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। आप प्रश्न काल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने संकल्प लिया है कि प्रश्न काल को स्थगित न होने दिया जाए। यह सदन की मर्यादा नहीं हैं। सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन आप प्रश्न काल में चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह उचित नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी के पहले अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के पहले जनजातीय समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी हैं, जिन्होंने केन्द्रीय कक्ष में अपनी बात रखी है, लेकिन आप उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी के पहले अभिभाषण पर चर्चा न करना उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब अपनी सीट्स पर जाइए। हम सभी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका यह पहला अभिभाषण है। आप सदन के अन्दर जनता को क्या दिखाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कीजिए, बजट पर चर्चा कीजिए, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कीजिए। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन

विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, उनके लिए नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है।

... (व्यवधान)

***प्रश्नों के लिखित उत्तर**

(तारांकित प्रश्न सं. 22 से 40 तक
अतारांकित प्रश्न सं. 231 से 460 तक)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

----

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए)*

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.0½ बजे</u>

इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश , प्रो. सौगत राय , डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए ।

[हिन्दी] … (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

<u>अपराह्न 2.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: –

(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दत्तकग्रहण विनियम, 2022 जो 23 सितम्बर, 2022के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 726(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श संशोधन नियम, 2022 जो 1 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 678(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8514/17/23]

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना नियम, 2022 जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 898(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8515/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं अपने सहयोगी श्री अश्वनी वैष्णव की ओर से वर्ष 2023-2024 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8516/17/23]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति जी, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8517/17/23]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मेरे सहयोगी श्री श्रीपाद येसो नाइक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 73 के अंतर्गत जारी महापत्तन प्राधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य) नियम, 2022, जो 26 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.727(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8518/17/23]

(2) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 24 की उप-धारा (1) और 32 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3641(अ) जो 2 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों के जलयानों द्वारा संदाय की जाने वाली समुद्री सहायता की दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8519/17/23]

(3) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 17 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.5055(अ) जो 2 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

तथा जिसके द्वारा समुद्री नौचालन सहायता के बकायों के संदाय से छूट प्राप्त जलयानों की सूची को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8520/17/23]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के तहत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सागरमाला डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सागरमाला डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8521/17/23]

(ख) (एक) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8522/17/23]

(ग) (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि, के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) के मद सं (क) में उल्लिखित कागज़ातों को सभा पटल पर रखने में देरी के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8523/17/23]

(6) (एक) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 824/17/23]

(7) (एक) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8525/17/23]

(8) (एक) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण, तुतुकुडी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण, तुतुकुडी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण, तुतुकुडी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण, तुतुकुडी के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8526/17/23]

(9) (एक) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चिके वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8527/17/23]

(10) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन प्राधिकरण, मंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन प्राधिकरण, मंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) न्यू मंगलौर पत्तन प्राधिकरण, मंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) न्यू मंगलौर पत्तन प्राधिकरण, मंगलौर के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8528/17/23]

(11) (एक) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8529/17/23]

(12) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8530/17/23]

(13) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8531/17/23]

(14) (एक) चेन्नई पत्तन प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पत्तन प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8532/17/23]

(15) (एक) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीपके वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8533/17/23]

(16) (एक) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8534/17/23]

(17) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के तहत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8535/17/23]

(18) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8536/17/23]

[हिन्दी]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8537/17/23]

(2) (एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8538/17/23]

(3) (एक) संघ राज्यक्षेत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8539/17/23]

(4) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8540/17/23]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं अपने सहयोगी श्री वी. मुरलीधरन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडिया सेंटर फॉर माईग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडिया सेंटर फॉर माईग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8541/17/23]

(2) वर्ष 2023-2024 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8542/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं, अपनी सहयोगी श्रीमती मीनाक्षी लेखी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8543/17/23]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8544/17/23]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 347 की उप-धारा (4) के अंतर्गत छावनी भूमि प्रशासन (संशोधन) नियम, 2022 जो 1 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 18(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8545/17/23]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान ऐयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8546/17/23]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8547/17/23]

(ख) (एक) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8548/17/23]

(ग) (एक) बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8549/17/23]

(घ) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8550/17/23]

(4) (एक) सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8551/17/23]

(6) (एक) सेंटर फॉर वारफेयर स्टडीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर वारफेयर स्टडीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8552/17/23]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) परिनियम, 2022 जो 13 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 694(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) परिनियम, 2022 जो 27 अगस्त, 2022 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 113 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8553/17/23]

(2) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 30ड. के अंतर्गत जारी परिषद (राष्ट्रीय राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियम, 2022 जो 1 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 408(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8554/17/23]

(3) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8555/17/23]

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. आर.के. रंजन सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8556/17/23]

(2) (एक) कैम्पस डवलपमेंट प्रोजेक्ट, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।।

(दो) कैम्पस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8557/17/23]

(3) (एक) रिसर्च एण्ड इंफॉरमेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिसर्च एण्ड इंफॉरमेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8558/17/23]

(4) (एक) भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8559/17/23]

(5) भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षय रोग केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8560/17/23]

(2) (एक) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8561/17/23]

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8562/17/23]

(4) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8563/17/23]

(5) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8564/17/23]

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8565/17/23]

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान, डिण्डीगुल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, डिण्डीगुल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8566/17/23]

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8567/17/23]

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2021-2022

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8568/17/23]

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8569/17/23]

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8570/17/23]

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कामकाज की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8571/17/23]

(14) (एक) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8572/17/23]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. (प्रो.) महेंद्र मुंजपरा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम- बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बी.एच.एम.एस) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम- बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बी.एच.एम.एस) विनियम, 2022 जो 7 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 3-34/2021/एनसीएच/एचईबी/सीसी/ 10758 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रित (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8573/17/23]

(2) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8574/17/23]

(3) (एक) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8575/17/23]

(4) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8576/17/23]

(5) (एक) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.8577/17/23]

<u>अपराह्न 2.04 बजे</u>

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आपकी अनुमति से, महोदय, मैं यह घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि सोमवार, 6 फरवरी, 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1. "आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार: - [*इसमें* राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा *शामिल है*]

2. केंद्रीय बजट 2023-24 पर सामान्य चर्चा

<u>अपराह्न 2.04 ½ बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

> कि यह सभा 2 फरवरी, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 2 फरवरी, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है, वे कृपया नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।

(एक) गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी अनुसंधान संस्थान तथा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि किशन (गोरखपुर): उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या का अधिकाश भाग कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, अन्तिम पशुगणना के अनुसार प्रदेश में गोवंशीय / महिषवंशीय पशुओं की संख्या लाखों में है। उत्तर प्रदेश के पशुपालको की आय में वृद्धि करने तथा डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन दोगुना करने और खाद्य सुरक्षा को आत्म निर्भर एवं आत्म-संपन्न बनाने के साथ-साथ रोजगार एवं व्यापार के अवसर उत्पन्न कराने हेतु पशुपालन को व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग से जोड़ना अत्यधिक बेहतर होगा। राज्य में व्यवसायिक डेयरी फार्मिंग की असीम सभावना है परन्तु समुचित प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक मार्गनिर्देशन प्राप्त न होने के कारण अपेक्षित लाभ प्राप्त नही होता। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने एवं डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य के गोरखपुर जनपद डेयरी अनुसंधान संसथान स्थापित करने के साथ-साथ राज्य में 4 से 5 मण्डल पर एक चिन्हित मण्डल में मण्डलीय व्यवसायिक फार्मिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की नितान्त आवश्यकता हैं।

प्रदेश के पशुपालको / डेयरी संचालकों को वैज्ञानिकों के कुशल निर्देशन में व्यवसायिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण सुनिश्चित किये जाने एवम् डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित किये जाने से डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन दोगुना होगा जिससे डेयरी प्रोडक्ट्स का निर्यात होगा तथा खाद्य सुरक्षा को आत्म-निर्भर, आत्म-संपन्न होने के साथ-साथ रोजगार एवं व्यापार के अवसर उत्पन्न होंगे।

---

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

अतः सरकार से विनम्र अनुरोध हैं कि प्रदेश के पशुपालको एवं किसानों की आय में वृद्धि करने तथा प्रदेश में डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन दोगुना कराने और खाद्य सुरक्षा को आत्मनिर्भर व आत्मसंपन्न बनाने के साथ-साथ रोजगार एवं व्यापार के अवसर उत्पन्न कराने और प्रदेश के समग्र विकास हेतु डेयरी अनुसंधान संस्थान मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में स्थापित करने सहित प्रदेश में 4 से 5 मण्डल पर एक चिह्नित मण्डल मे मण्डलीय व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने / विकसित करने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान कर के सम्बन्धित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की महती कृपा करें।

(दो) गया से डाल्टनगंज तक रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार का औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र गया एवं औरंगाबाद दो जिलों में विस्तृत है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ये दोनों ही जिले भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है यधपि विगत एक दशक में केंद्र सरकार के प्रयासों से इन आकांक्षी जिलों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं गृह मंत्रालय के विशेष प्रयासों के अधीन सड़क निर्माण और सड़क संपर्कों की सघनता से जहाँ बेहतर सड़क संपर्कों से विकास दर को गति मिली है वही उग्रवाद पर लगाम कसना भी संभव हो सका है।

दक्षिणी बिहार के ये दोनों जिले गया -औरंगाबाद झारखंड राज्य के चतरा, हजारीबाग आदि उग्रवाद प्रभावित जिलों से सटे है। वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग है कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया, शेरघाटी, बाँके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते हुए झारखंड में डाल्टेंगंज को रेल सेवा से जोड़ा जाए। रेल सेवा का यह विस्तार बेहतर स्थानीय संपर्क के साथ उग्रवाद नियंत्रण में उपयोगी होगा।

(तीन) शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डभौरा रेलवे समपार संख्या 334-ख पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश) की तहसील तिलहर में तिलहर-निगोही के बीच ग्राम डभौरा के पास रेलवे क्रासिंग पड़ती हैं, जो लगभग 200 गांवों को शहर से जोड़ती हैं। इन सभी ग्रामवासियों का शहर आवागमन हेतु उक्त रेलवे क्रासिंग ही एकमात्र रास्ता हैं। इस रेलवे क्रासिंग पर भारी यातायात की वजह से प्रतिदिन कई-कई घंटों तक यातायात अवरुद्ध रहता है, जिसकी वजह से इन गांवों के लोगो को व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। विगत काफी समय से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उक्त रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की मांग की जा रही है और इस संबंध में, मैंने भी माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उक्त रेलवे क्रासिंग पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण अविलंब करवाया जाए, ताकि निकटवर्ती गांवों के सभी लोगों को आवागमन और अपने कार्यों में सुविधा मिल सके। अतः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध हैं कि जनहित में उक्त जनसमस्या को प्राथमिकता में रखते हुये जनपद शाहजहाँपुर के तहसील तिलहर क्षेत्र में डभौरा रेलवे क्रासिंग गेट संख्या 334-ख पर रेलवे ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी) का निर्माण करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(चार) देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु अतिरिक्त विधिक प्रावधान किए जाने के बारे में

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): बढ़ती जनसंख्या के कारण राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक दृष्टि से असंतुलन की तरफ बढ़ रहा हैं । जनसंख्या विस्फोट का ही नतीजा हैं कि देश में जोशीमठ जैसे सनातन संस्कृति के प्रतीक धार्मिक स्थलो का ताना-बाना बिगड़ता जा रहा हैं। गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, मिलावट, अपराध जैसी समस्याए निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ जागरूकता के सहारे इस भयावह स्थिति का मुक़ाबला कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए देश को कानूनी प्रावधान करने पर विचार करना पड़ेगा और जनसंख्या नियंत्रण के विशेष प्रयास करने ही पड़ेंगे। इस संबंध मे सरकार से मेरा आग्रह हैं कि भारत की भावी पीढ़ियों के सुखद भविष्य को ध्यान में रखकर तथा प्राकृतिक आपदाओ की पुनरावृति रोकने हेतु तत्काल उचित कदम उठाए ।

(पांच) मालदा टॉउन रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाए जाने एवं वहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दिए जाने के साथ-साथ मालदा टॉउन रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली एवं बेंगलूरु तक ट्रेन सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मालदा टाउन रेलवे स्टेशन अति व्यस्त रेलवे स्टेशन है जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं विशेष रूप से इलाज के लिए और अपने अन्य व्यवसाय कार्य से हजारों लोग दिल्ली, बेंगलुरु और दक्षिण भारत के अन्य शहरों की यात्रा करते हैं। मालदा टाउन से होकर इन शहरों को जाने वाली ट्रेने बहुत कम है और जो ट्रेन चलती हैं उनमें मालदा टाउन का कोटा बहुत कम होने के कारण यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है और यात्रा में बहुत कठिनाई होती हैं। इन्हीं तत्वों के दृष्टिगत में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित प्रस्ताव पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

1. मालदा टाउन रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन की तरह बनाया जाए एवं मालदा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस (गुवाहाटी से नई दिल्ली) का ठहराव किया जाए

2. मालदा टाउन से नई दिल्ली और बेंगलुरु के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए मालदा टाउन से होकर जाने वाली सभी ट्रेनों में अलग अलग से एक-एक कोच (मालदा टाउन कोटा) लगाए जाए अगर यह संभव ना हो तो मालदा के लिए अधिकतम संभव कोटा आवंटित किया जाए।

(छह) बिहार के सीतामढ़ी जिले में मनुषमारा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे क्षेत्रांतर्गत सीतामढ़ी जिला के परसौनी प्रखंड मनुष्यमारा नदी पर देमा पंचायत के मुसहरी टोला से शीतलपट्टी के बीच पुल निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। ज्ञात हो कि परसौनी प्रखंड एक पिछड़ा हुआ तथा घनी आबादी वाला इलाका है। जहाँ पुल निर्माण नहीं होने से लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ एवं बरसात के दिनों में लोग नाव और चचरी पुल के सहारे नदी पार करने को विवश होते है। जहाँ कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएँ होती रहती है और जान माल की क्षति होती है। अतः सरकार से अनुरोध होगा कि जनहित में उपरोक्त परसौनी प्रखंड अंतर्गत मनुष्यमारा नदी पर देमा पंचायत के मुसहरी टोला से शीतलपट्टी के बीच पुल निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(सात) सबरी रेलवे लाइन परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह सबरी रेलवे लाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किए गए संशोधित अनुमान को मंजूरी दे, यह एक ऐसी परियोजना है जिसे 25 साल पहले घोषित किया गया था। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि एरुमेली से रन्नी, पथनमथीट्टा, कोन्नी, पुनालुर और नेदुमंगडु के माध्यम से तिरूवनन्तपुरम तक इस रेलवे लाइन के विस्तार के लिए काम शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। अंतिम लोकेशन का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया गया है। अब तक, 7 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है, पेरियार नदी पर एक पुल और कलाडी का निर्माण पूरा हो चुका है। यह रेलवे इडुक्की, कोट्टायम और पथनमथीट्टा जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती है और पर्यटन के विकास को बढ़ावा देगी। इससे कृषि उपज और रबड़, चाय और कॉफी जैसी बागान फसलों के परिवहन को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। त्रिवेन्द्रम शहर में मुख्य सड़क पर भारी ट्रैफिक के कारण हर दिन कई यात्रियों की फ्लाइट छूट रही हैं। इस रेलवे लाइन के क्रियान्वित होने पर भारी यातायात से बचा जा सकता है। एक बार जब यह लाइन एरुमेली से तिरूवनन्तपुरम तक विस्तारित हो जाएगी, तो इससे सबरीमाला तीर्थयात्रियों को बड़ी मदद मिलेगी और केरल और तमिलनाडु के बीच यात्रा भी आसान हो जाएगी।

(आठ) देश के सामुदायिक रेडियों केंद्रों की फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ाए जाने के बारे में

श्री टी. एन. प्रथापन (त्रिस्सूर): सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सी.आर.एस.) दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में भी सरकार देशभर में सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन इन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को समर्थन देने के लिए और भी उपाय किये जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान फ्रीक्वेंसी रेंज को दोगुना किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा और कृषि से जुड़े समुदाय व्यापक रूप से फैले हुए हैं और इनको कवर करने के लिए मौजूदा फ्रीक्वेंसी रेंज पर्याप्त नहीं है। सी.आर.एस. को उनके प्रदर्शन को देखते हुए वार्षिक वित्तीय पैकेज का समर्थन दिया जाना चाहिए। यह उन्हें समुदायों के साथ अधिक उपयोगी सहभागिता शुरू करने के लिए सशक्त बनाएगा। भारत में कई सी.आर.एस. स्टेशनों को चलाने के लिए वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कॉपीराइट कानून में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सी.आर.एस. को फिल्मी गाने मुफ्त में मिल सकें। मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इन मामलों पर गौर करने और देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को समर्थन प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए उपाय शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

(नौ) सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): मैं हमारे देश की सीमाओं के असुरक्षित रहने की स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। मैं अपने बहादुर सुरक्षा बलों के साथ खड़ा हूं और अपने नागरिकों की रक्षा हेतु किसी भी प्रकार के आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें सलाम करता हूं। मेरी चिंता सीमा सुरक्षा मुद्दों पर केंद्र सरकार के रवैये को लेकर है। वर्ष 2013-14 के बाद से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़पें और गतिरोध बढ़ गए हैं। बताया गया है कि काराकोरम दर्रे और चुमुर के बीच 65 में से 26 स्थानों पर 'कोई गश्त नहीं' की जा रही है। दूसरे शब्दों में, भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग प्वाइंट (पी.पी.) में से 26 तक पहुंच खो दी है। सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार यह भी स्वीकार नहीं करती है कि चीन अवैध रूप से हमारे भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और भारतीय सेना की गश्त किए जाने वाले स्थानों तक पहुंच को अवरुद्ध कर देता है। पी.पी. 15 और 16 पर नवीनतम सैन्य विलगन समझौतों के परिणामस्वरूप केवल कई प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय चारागाह भूमि का नुकसान हुआ है। चीन ने एलएसी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में गांवों और दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का विकास किया है। चीन तिब्बत में नया बांध बना रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आम जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा मुद्दों पर कड़े फैसले ले।

(दस) तिरुपत्तुर एवं जोलारपेट्टई रेलवे स्टेशनों के विकास और वहाँ रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में

श्री सी. एन. अन्नादुरई (तिरुवन्नामलाई): तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत तिरुपत्तूर और जोलारपेट्टई के लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस, मैंगलोर एक्सप्रेस, सबरी एक्सप्रेस, इंटर-सिटी एक्सप्रेस (कोयंबटूर से चेन्नई सेंट्रल) का तिरुपत्तूर स्टेशन पर ठहराव प्रदान किए जाने और येलागिरी एक्सप्रेस का विस्तार तिरुपत्तूर तक किए जाने की लोकप्रिय मांग की ओर आकर्षित करता हूँ। मुझे जोलारपेट्टई स्टेशन पर नीलगिरि एक्सप्रेस, मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, मदुरै दुरंतो एक्सप्रेस, त्रिवेन्द्रम मेल, नागरकोइल एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की मांग करने वाले अनुरोध भी लगातार प्राप्त हो रहे हैं। मैं तिरुपत्तूर और जोलारपेट्टई रेलवे स्टेशनों के विकास और विशेष रूप से विकलांग/वृद्ध लोगों के लिए बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल के जयनगर और मोइपिथ (कुलताली ब्लॉक) के बीच रेल सेवा शुरू किए जाने के बारे में

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): जॉयनगर से जामताला होते हुए मोइपिथ तक 48 कि.मी. की सड़क है जो कुलपी रोड नामक राज्य राजमार्ग से जुड़ी है। जयनगर से मोइपिथ, जो कुलतली ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तक यात्रा करने में कार से दो घंटे लगते हैं । क्षेत्र के लोगों के पास परिवहन के साधन के रूप में साइकिल है, जिससे दैनिक यात्रियों के लिए यात्रा करना बेहद कठिन हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से छात्र, दिहाड़ी कमाने वाली महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। यदि वे अपनी साइकिल के अलावा कुछ भी चुनते हैं तो यह भी महंगा साबित होता है। इस प्रकार क्षेत्र के लोग जॉयनगर से कुलतली तक रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे हैं। लोग आज भी रेल कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2009-2014 के दौरान इस संबंध में एक सर्वेक्षण भी किया गया था। इसलिए, मैं इस मामले को उठाना चाहती हूं और आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि लोग रेल लाइन के लिए जमीन उपलब्ध कराने के इच्छुक हैं। रेल कनेक्टिविटी 5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए वरदान साबित होगी। बच्चों के पास यात्रा करने में लगने वाले समय के बजाय पढ़ाई के लिए अधिक समय होगा। अब समय आ गया है और सरकार को कुलतली क्षेत्र के लोगों के अनुरोध पर ध्यान देना चाहिए। जॉयनगर और मोइपिथ (कुलतली ब्लॉक) के बीच रेल संपर्क स्थापित करके लोगों की आवश्यकता को पूरा करना और उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।

(बारह) विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित हैं कि हर साल भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और इस दिन पौराणिक काल के इंजीनियर माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है. इस दिन सभी श्रमिक वर्ग, कुशल कारीगर और कारखाने के श्रमिक विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। इस अवसर पर सभी कारखानों में यांत्रिक उपकरणों की पूजा की जाती है और हवन भी किया जाता है। समाज में ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। मैं, मेरी और विश्वकर्मा समाज की ओर से मांग करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा विश्वकर्मा जयंती दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए और भगवान विश्वकर्मा की जीवन गाथा को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल कराने का भी प्रस्ताव देने की कृपा करे।

(तेरह) कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा में अपने अंतिम अवसर का लाभ न उठा पाने वाले सिविल सेवा आकांक्षियों को एक और अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर): मैं यह मुद्दा उठान चाहता हूं कि कई सिविल सेवा अभ्यर्थी, जो कोविड-19 के गंभीर प्रसार की अवधि के दौरान सिविल सेवा परीक्षा देने के अपने आखिरी मौके में शामिल नहीं हुए थे, एक और आखिरी मौके के लिए अनुरोध कर रहे हैं। चूँकि यह आखिरी मौका था, वे पूरी ताकत और पूरे आत्मविश्वास के साथ जुलाई 2022 में आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में जुट गये। लेकिन, कोविड-19 ने उनकी पूरी उम्मीद पर पानी फेर दिया और वे अब अपने भविष्य की अस्थिरता से निराश हैं। वे सैन्य सेवाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षा लिखने हेतु उम्मीदवारों को प्रदान की गई समय अवधि के विस्तार का उदाहरण दे रहे हैं। 27 अक्टूबर 2022 को, एसएससी ने कोविड-19 के कारण आयु में छूट को 3 साल तक बढ़ा दिया; कार्मिक, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने भी आयु में छूट के संबंध में कुछ अनुकूल सुझाव दिए हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रभावित उम्मीदवारों को छूटी हुई परीक्षा लिखने की अनुमति दी है। तदनुसार, इन प्रभावित व्यक्तियों को अंतिम मौका देने के लिए उम्मीदवारों की चिंताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(चौदह) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के बीमा दावों के समयबद्ध निस्तारण के बारे में

[हिन्दी]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यो मे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसली बीमा कंपनियो द्वारा किसानो के साथ फसल बीमा से संबन्धित विषयों मे किए जा रहे अनुचित व्यवहार के सम्बन्ध मे सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि उक्त योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा किसानो के साथ क्लेम देने मे उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, चूँकि खरीफ 2021 का क्लेम नही आने के कारण राजस्थान सहित देश के कई राज्यो मे किसान आंदोलित है,सिंचित और असिंचित खरीफ फसलो की बुवाई अप्रेल मे शुरू हो जाती है जो जुलाई के अंत तक चलती है लेकिन राजस्थान के सन्दर्भ मे बात करू तो राजस्व विभाग इन फसलो की गिरदावरी सितम्बर के अंत तक करते हैं और कई बार तो खेतो मे जाए बिना ही गिरदावरी कर दी जाती है और सरकार को सितम्बर के अंत तक अर्धसत्य गिरदावरी रिपोर्ट मिलती है जबकि फसल बीमे का प्रीमियम गिरदावरी रिपोर्ट आने से पहले ही काट लिया जाता है जबकि यह नियम के विपरीत है ऐसे मे इसका सीधा नुकसान किसानो को होता हैं जिसका फायदा बीमा कंपनियाँ उठाती है इसलिए सरकार बीमा कंपनियो को किसानो को समय पर पूरा क्लेम देने हेतु पाबंद करे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होने दीजिए। यह हमारा संवैधानिक दायित्व भी है और परंपरा भी है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभिभाषण के पश्चात् सबसे पहले धन्यवाद की चर्चा होनी चाहिए। कृपया आप अपनी सीट पर वापस जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, सदन को चलाने में सहयोग करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 6 फरवरी, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 6 फरवरी, 2023 / 17 माघ, 1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित